भारत सरकार

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2286

शुक्रवार, 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

जम्मू-कश्मीर में वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित सभी योजनाओं का कार्यान्वयन

2286. श्री गुलाम अली:

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा विगत पाँच वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र में वाणिज्य एवं उद्योग से संबंधित सभी योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई है;

(ख) विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के अंतर्गत अनुमोदित औद्योगिक इकाइयों, प्राप्त निवेश, सृजित रोजगार, निर्यात, मान्यता प्राप्त स्टार्टअप, भौगोलिक संकेतक (जीआई) उत्पादों के संवर्धन, विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्रों, आवंटित, जारी एवं उपयोग की गई निधि तथा शामिल किए गए लाभार्थियों का जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) लंबित प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और उनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) सभी लंबित परियोजनाओं एवं निवेश प्रस्तावों के लिए सुधारात्मक उपायों, निगरानी तंत्र तथा उन्हें पूरा करने के लिए निर्धारित समय-सीमा का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जितिन प्रसाद)

(क): जम्मू और कश्मीर में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) ने जम्मू और कश्मीर के लिए औद्योगिक विकास स्कीम (आईडीएस), 2017 के विशेष पैकेज-1 और-2, तथा संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्रीय क्षेत्र की नई स्कीम (एनसीएसएस), 2021, जैसी स्कीमों को लागू किया है। डीपीआईआईटी**,** जम्मू और कश्मीर के संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ निकट समन्वय में इन स्कीमों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है और स्कीमों के कार्यान्वयन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को हल करने के लिए नियमित समीक्षा करता है।

(ख): पिछले पांच वित्तीय वर्षों में उपरोक्त (क) में उल्लिखित स्कीमों के तहत

इकाइयों को संवितरित की गई राशि निम्नानुसार है:

स्कीम-वार संवितरित राशि (करोड़ रुपए में)				
क्रम सं.	**वित्त वर्ष**	**विशेष पैकेज I और II**	**आईडीएस, 2017**	**एनसीएसएस, 2021**
1	2021-22	28.33	40.09	-
2	2022-23	8.46	8.28	44.10
3	2023-24	3.54	28.41	160.15
4	2024-25	0.95	23.24	200.09
5	2025-26	-	4.47	399.66
कुल		**41.28**	**104.49**	**804.00**

एनसीएसएस, 2021 के तहत, 918 आवेदनों को पंजीकरण प्रदान किया गया है और 292 इकाइयों ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। इन 292 इकाइयों द्वारा 29,000 रोजगार के सृजन का अनुमान है। हालांकि, इन स्कीमों के संबंध में जिला-वार डेटा डीपीआईआईटी द्वारा नहीं रखा जाता है।

30 जून 2026 तक, संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में कुल 1,628 कंपनियों को मान्यता दी गई है। स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों का जिला-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

केंद्र सरकार ने भारत जीआई मेला, जीआई महोत्सव, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में जीआई मंडप, अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मेलों में भागीदारी सहित जीआई उत्पादों की दृश्यता और विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए कई पहलें की हैं। इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रचार गतिविधियां की गई हैं। इन पहलों का उद्देश्य जीआई टैग वाले उत्पादों के बारे में जागरूकता, ब्रांडिंग, बाजार पहुंच और निर्यात क्षमता में सुधार करना है।

जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा सूचित किया गया है कि जम्मू और कश्मीर के पारंपरिक हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के लिए जीआई मान्यता प्राप्त करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए गए हैं और इसके परिणामस्वरूप अब तक 18 पारंपरिक शिल्पों को जीआई पंजीकरण प्रदान किया गया है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने एक जिला एक

उत्पाद (ओडीओपी) पहल और एक्सपोर्ट हब स्कीम के तहत उत्पादों का विवरण क्रमशः **अनुबंध-II** और **अनुबंध-III** में प्रदान किया है।

(ग) और (घ): उपरोक्त (क) में उल्लिखित औद्योगिक विकास स्कीमों में से, विशेष पैकेज-1 और 2 ने अपनी अवधि पूरी कर ली है जबकि आईडीएस, 2017 के तहत इकाइयों के लिए केवल प्रतिबद्ध देनदारियां वितरण के लिए देय हैं क्योंकि स्कीम दिनांक 31.3.2021 को बंद हो गई है। इन तीनों स्कीमों के तहत पंजीकृत इकाइयों ने विभिन्न लाभ उठाए हैं। एनसीएसएस, 2021, जिसकी परिव्यय राशि 28,119 करोड़ रुपए है और जो दिनांक 01.04.2021 को शुरू हुई थी, पंजीकृत इकाइयों के लिए दिनांक 31.3.2037 तक लागू रहेगी।

अनुबंध-I

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2286 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

30 जून, 2026 तक संघ राज्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर में डीपीआईआईटी द्वारा स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्राप्त कंपनियों का जिला-वार विवरण निम्नानुसार है:

जिला	**संस्थाओं की संख्या**
अनंतनाग	74
बांदीपोरा	89
बारामूला	130
बडगाम	88
डोडा	39
गांदरबल	17
जम्मू	431
कठुआ	42
किश्तवाड़	34
कुलगाम	12
कुपवाड़ा	31
पुंछ	12
पुलवामा	66
राजौरी	18
रामबन	8
रियासी	25
सांबा	17
शोपियां	15
श्रीनगर	450
उधमपुर	30
कुल	**1628**

अनुबंध-II

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2286 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जम्मू कश्मीर में एक जिला एक उत्पाद पहल के तहत उत्पाद

क्रम सं.	**जिला**	**उत्पाद**
1	जम्मू	बासमती चावल
2	सांबा	मशरूम
3	रामबन	शहद
4	रियासी	सुगंधित पौधे
5	डोडा	प्राकृतिक तेल (लैवेंडर)
6	उधमपुर	लहसुन
7	पुंछ	पेकान नट
8	राजौरी	अखरोट
9	किश्तवाड़	केसर
10	कठुआ	बसोहली पश्मीना और बसोहली पेंटिंग
11	अनंतनाग	ट्राउट मछली
12	बांदीपोरा	क्रूएल आधारित शॉल
13	बारामूला	सेब
14	बडगाम	कानी शॉल
15	गांदरबल	विकर विलो
16	कुलगाम	लहसुन
17	कुपवाड़ा	अखरोट
18	पुलवामा	केसर
19	शोपियां	सेब
20	श्रीनगर	सिल्क कालीन

अनुबंध-III

दिनांक 07.08.2026 को उत्तर दिए जाने हेतु नियत राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2286 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

जम्मू-कश्मीर में निर्यात हब स्कीम के तहत उत्पादों की जिला-वार सूची

क्रम सं.	**जिला**	**उत्पाद सूची (प्राथमिकता के अनुसार)**
1	जम्मू	1. बासमती चावल 2. आम 3. सोज़नी और स्टेपल 4. डेयरी उत्पाद
2	सांबा	1. बांस 2. आंवला 3. मशरूम 4. फार्मास्युटिकल
3	कठुआ	1. ऑर्गेनी स्पाइसीज 2. बशहोली पश्मीना 3. बशहोली पेंटिंग
4	उधमपुर	1. अचार 2. पर्यटन 3. लहसुन
5	रियासी	1. मसाले 2. सुगंधित पौधे 3. पर्यटन
6	पुंछ	1. एंडवेंचर स्पोर्टस 2. अखरोट 3. ऊनी बेबी गारमेंट या राजमाश
7	राजौरी	1. डेयरी उत्पाद 2. अखरोट और उसके उत्पाद 3. ऊनी उत्पाद
8	डोडा	1. प्राकृतिक तेल 2. राजमाश 3. अखरोट
9	किश्तवाड़	1. अखरोट 2. केसर

		3. राजमाश
10	रामबन	1. शहद 2. अखरोट 3. अनारदाना
11	अनंतनाग	क्रिकेट बैट, अखरोट, सुगंधित चावल (मुश्कबुदजी) शहद, लाल मिर्च और ट्राउट मछली।
12	बांदीपोरा	शहद, मछली (ट्राउट/कार्प), काला जीरा और क्रूएल आधारित शॉल।
13	बारामूला	सेब और कालीन
14	बडगाम	कानी शॉल, सोज़नी और क्रूएल
15	गांदरबल	विकर विलो, ट्राउट मछली और कानी शॉल
16	कुलगाम	सेब, अखरोट, लहसुन, शहद, लाल मिर्च, क्रूएल मछली, डेयरी उत्पाद और भेड़ ऊन
17	कुपवाड़ा	लाल चावल और अखरोट
18	पुलवामा	केसर, सेब और इसके व्युत्पन्न
19	शोपियां	सेब
20	श्रीनगर	अखरोट की लकड़ी की नक्काशी, रेशम, शहद, रेशम कालीन, स्ट्रॉबेरी, चेन स्टिच चमड़ा, पश्मीना, बेकरी उत्पाद, कानी शॉल, पेपर-माची और कूपर-वेयर।
